भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5087
24 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश में सीएसआर परियोजनाएं

5087 **श्री पुट्टा महेश कुमारः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आन्ध्र प्रदेश में इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आन्ध्र प्रदेश में प्रस्तावित, विचाराधीन और वर्तमान में कार्यरत सीएसआर परियोजनाओं की सूची का जिला-वार और एलुरु जिले के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में सीएसआर परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित, शुरू की गई और वर्तमान में कार्यरत फोकस क्षेत्रों की सूची का जिला-वार और एलुरु जिले के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट प्रत्येक सीएसआर पहल के लिए आबंटित, जारी की गई और उपयोग की गई निधि की कुल राशि का जिला-वार और एलुरु जिले के संदर्भ में ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में और एलुरु जिले के संदर्भ में ऐसे सीएसआर कार्यकलापों के लाभार्थियों की कुल संख्या का जिला-वार व्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ग): निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं का आवंटन राज्यवार नहीं किया जाता है। तथापि, इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) द्वारा चलाई जाने वाली सीएसआर परियोजनाएं मुख्य रूप से इस्पात संयंत्रों, इस्पात टाउनशिप और खदानों के आसपास के क्षेत्रों में संचालित की जाती हैं, जहां मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की आबादी निवास करती है। कंपनी अधिनियम, 2013 और सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुसार, गतिविधियां स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर की जाती हैं।

इन प्रमुख क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तिकरण, आजीविका सृजन, स्वच्छता, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय संधारणीयता, खेल और पारंपरिक कला एवं संस्कृति का संवर्धन शामिल हैं।

(घ) सीएसआर कार्य से समाज को व्यापक लाभ पहुंचता है, इसलिए अलग-अलग सीपीएसई द्वारा किए गए कार्यों के कारण जिले-वार लाभार्थियों की सटीक संख्या मापनीय नहीं है और इन्हें दर्ज नहीं किया जाता है।

*****